FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/02/2026 14:40 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/02/2026 **Time (समय):** 14:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 26/02/2026 14:40 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): फौरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला,अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सन्दीप

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** जसमेर सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1981 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**गांव भीलपुरा, डाकखाना पिलखनी अम्बालाAMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**गांव भीलपुरा, डाकखाना पिलखनी अम्बालाAMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416805397

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राकेश ईन्सपैक्टर			1. फौरेस्ट काम्पलैक्स,अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA
2	भरत ड्राईवर			1. फौरेस्ट काम्पलैक्स,अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है:-

सेवा में

इन्सपैक्टर विजिलैंस

अम्बाला।

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं सन्दीप पुत्र श्री जसमेर सिंह वासी गांव भीलपूरा डाकखाना पिलखनी जिला अम्बाला का रहने वाला हूं। मेरा गांव भीलपूरा में ही सूअर व कुत्तों का फार्म है। जो इन जानवरों के फीड के लिए मुझे कच्चे मांस की जरूरत पडती है। जो मैं यह फीड मरे हुए जानवरों को उठाने वाले व्यक्तियों से लेता हूं। मेरे द्वारा दिंनाक 22.02.2026 को फीड लेकर अपने घर पर रखी थी। दिनांक 23.02.2026 को राकेश इन्सपैक्टर फोरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला व उसका ड्राईवर भरत मेरे घर आए तथा मुझे फीड के साथ पकडकर फोरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला ले गए और एक कागज पर 25 किलो फीड (मांस) लिखकर मुझे डरा धमका कर मेरे साईन करवा लिए थे और दोनों ने आपसी सलाह मशवरा के बाद मुझ पर दबाव देकर कहा कि कहा कि तुम 50000/-रू. दे दो नही तो तेरे खिलाफ कार्यवाही होगी। उसके बाद दिनांक 24.02.2026 को मेरे पास भरत ड्राईवर के मोबाईल न. 9671006644 से मेरे मोबाईल न. 9416805397 पर फोन करके मुझे अपने आफिस में बुलाया, उसके कहने पर मैं उसी दिन राकेश इन्सपैक्टर व भरत ड्राईवर को फोरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला में मिला और कुछ पैसे कम करने बारे मिन्नत की और मेरे से इन दोनों ने डरा धमका कर 10000/-रू. की रिश्वत ले ली और कहा कि बकाया 40000 रह गए हैं परन्तु तुम 30000/-रू. ही एक दो दिन बाद लेकर आ जाना। जिसकी मैने रिकार्डिंग डिवायस में रिकार्डिंग की हुई है जो मैं आपको पेश कर दूंगा। मैं यह रिश्वत की राशि 30000/-रू. राकेश कुमार इन्सपैक्टर व भरत ड्राईवर फोरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला को नहीं देना चाहता तथा उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। कृपा मेरी शिकायत पर कानूनी कार्यवाही करें। उसको पकडवाने के लिए 30000/-रू. मैं अपने साथ लेकर आया हू।

-sd- हिन्दी सन्दीप
सन्दीप पुत्र श्री जसमेर सिंह
वासी गांव भीलपूरा डाकखाना
पिलखनी जिला अम्बाला
मे.न. 9416805397
आधार न. 829571113948

कार्यवाही पुलिसः- आज दिंनाक 26.02.2026 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला हूं कि श्री सन्दीप पुत्र श्री जसमेर सिंह वासी गांव भीलपूरा डाकखाना पिलखनी जिला अम्बाला ने हाजिर कार्यालय आकर एक स्वयं हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और आपसी लेन-देन सम्बन्धित रिकार्डिंग बातचीत सुनने उपरान्त और सन्तुष्ट होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500 रूपए के 60 अदद करन्सी नोट मुबलिक 30000/- रूपए मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व इन्वैन्टरी नोट तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट व इन्वैन्टरी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता सन्दीप ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। धारा 105 बी.एन.एस.एस. की पालना की गई। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री हेमन्त Drug Control Officer Ambala से सम्पर्क किया गया और पुलिस अधीक्षक रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला में आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबून से राकेश इन्सपैक्टर व भरत ड्राईवर फोरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2), 61(2) बी.एन.एस. का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक महिला स.उ.नि. बलजिन्द्र कौर 191/अम्बाला, मु.सि. कृष्ण कुमार न. 226/कुरूक्षेत्र, सिपाही सुरेश 517/अम्बाला, स.उ.नि. सतबीर सिंह न. 796/यमुनानगर, सिपाही गुलशन कुमार न. 1780/करनाल के बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03GV-1892 जिसका चालक मु.सि. हरनेक सिंह न. 568/अम्बाला, गाडी प्राईवेट, के रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर पहले से ही गाडी सरकारी में मौजूद हैं। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त स.उ.नि. सतबीर सिंह न. 796/यमुनानगर के मोहर्रर थाना राज्य

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला व अफसरान बाला की सेवा में व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए। इसी दौरान शिकायतकर्ता को हिदायत की गई कि आप रेड कार्यावाही के दौरान मौका पर आरोपीगण से हाथ नही मिलाएंगे। मन निरीक्षक मय रेडिंग पार्टी राजपत्रित गवाह के इन्तजार मे हूं।
अजः- रा.स. एवं भ्र. नि. ब्यूरो अम्बाला

-sd- हिन्दी सन्दीप
निरीक्षक सन्दीप
रा.स.एंव. भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला
दिनांक 23.02.2026
समय 2.00 pm

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा लेख उपरोक्त निरीक्षक सन्दीप रा.स.एंव भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला बर सन्दीप पुत्र श्री जसमेर सिंह वासी गांव भीलपूरा डाकखाना पिलखनी जिला अम्बाला बर खिलाफ से राकेश इन्सपैक्टर व भरत ड्राईवर फोरेस्ट काम्पलैक्स अम्बाला बाजूर्म 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2), 61(2) बी.एन.एस. का सरजद होना पाया जाने पर बादस्त स.उ.नि. सतबीर सिंह न. 796/यमुनानगर के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 03 दिनांक 26.02.2026 धाराधीन 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2), 61(2) बी.एन.एस. थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट बादस्त आने वाले स.उ.नि. सतबीर सिंह न. 796/यमुनानगर के सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक राजेश कुमार 71/एच.ए.पी. थाना रा0चौ0 एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SANDEEP KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 32HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.